तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 140/2022 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2022/179)

अनवानः

1. रामप्रताप पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम

1. हुकमनाथ पुत्र गणपत जाति सिद्ध निवासी साधासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा।

22.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र बहरा उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रा. पत्र बहस अवगत कराया कि आराजी जैर अपील पर अपीलांट का पच्चासों वर्ष पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 आदेश जैर अपील की आड़ में अपीलांट को कब्जा काश्त से बेदखल करने को तत्पर है। अपीलांट आदेश जैर अपील से व्यथित पक्षकार है। सैटलमेंट के दौरान सैटलमेंट कर्मचारियों ने अपीलांट के हिस्से की भूमि के दक्षिणी हिस्से में रेस्पो. सं. 1 का खसरा नंबर अंकित कर दिया जबकि वर्तमान खसरा नंबर भूमि अपीलांट के कब्जा काश्त की रही है। सैटलमेंट विभाग द्वारा अपीलांट व रेस्पो. सं. 1 के कब्जा काश्त के विपरीत एक–दूसरे के खेत में नये खसरा कायम कर दिये, जिसका सैटलमेंट कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक दावा जैरकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र बाबत पक्षकार बनने आदेश 1 नियम 10 जाब्ता दिवानी को एक ही आदेश से अपीलांट का पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया व रेस्पो. सं. 1 का पत्थरगढ़ी करवाने का प्रा. पत्र स्वीकार कर दिया। रेस्पो. सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दिवानी में खसरा नंबर 2136/731 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा होना स्वीकार किया है। अतः अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संदर्भ में (2000) आर.आर.डी. 384 न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1 ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का लिखित जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि रेस्पो. सं. 1 हुकमनाथ ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 2136/731 तादादी 1.83 हैक्टेयर वाके रोही साधासर बाबत पत्थरगढ़ी कराने एक प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनकर अपीलांट को व्यथित पक्षकार नहीं मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। रेस्पो. सं. 1 प्रारंभ से ही रिकार्डेड खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा 50 वर्षों से कब्जा संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये है। रेस्पो. सं. 1 द्वारा अपना स्वत्व दस्तावेजी प्रमाणों के साथ प्रमाणित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, जिसकी कोई चाराजोही कर अधीनस्थ द्वारा किया गया आदेश निरस्त नही करवाया जाने से उक्त अपील पेश करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से अपील में प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी स्वीकार योग्य नहीं है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलांट ने स्वयं ने अपने कथनों से स्वीकार किया है कि सर्वे दरम्यान रिकार्ड त्रुटि दुरूस्ति वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है जो अभी तक जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील पेश करने के लिये अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं माने जाने से अपील मेन्टेनेवल नहीं होनें से धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 ने अपनी बहस के संदर्भ में आर.आर.डी 1993 पेज सं. 568, आर. आर.डी 1989 पेज सं. 748 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांत व अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस प्रा. पत्र उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने रेस्पो. सं. 1 के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट को स्वीकार कर लिया तथा अपीलांट के प्रा. पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी के विरूद्ध अपीलांट/प्रार्थी को उक्त आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के समक्ष की जाकर अन्य चाराजोही की जानी चाहिये थी जबकि अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील नहीं कर अंतिम आदेश दिनांक 17.10.2022 की अपील इस न्यायालय में पेश की है, जिसकी लोकस स्टेण्डाई अपीलांट को नही है। अपीलांट दौराने बहस यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किस प्रकार से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार हैं। इसप्रकार प्रार्थी ने अपनी सुविधानुसार न्यायालय को चुना है, जो न्यायहित में समुचित आधार नही है। उक्त परिपेक्ष्य में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी अस्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर